कार्यालय जनपद पंचायत ओरछा,जिला–नारायणपुर(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/2013 /ज0पं0/MGNREGA/भर्ती/2019 ओरछा,दिनांक 04/12/2019

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/481/ज.पं./MGNREGA/2019, दिनांक 22/02/2019 के अनुसार रिक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधित् जारी विज्ञापन अनुसार एवं सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/486/22/पं.ग्रा.वि.वि./2018 नया रायपुर, दिनांक 06/02/2018 के अनुसार मेरिट सूची से निम्नानुसार अभ्यर्थी को उपस्थिति दिनांक से प्रतिमाह 5000/- निर्धारित मानदेय पर दिनांक 28/02/2020 तक के लिए संबंधित् ग्राम पंचायत में निम्न शर्तो के अधीन ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) के पद पर पदस्थ किया जाता है।

सं.क्र.	नियुक्ति हेतु ग्राम पंचायत का नाम	वर्ग जिसके लिये आरक्षित	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम
1	2	3	4	5
1	आदनार	अ.ज.जा (मुक्त)	सुखराम	श्री आयतूराम
2	गुदाड़ी	अ.ज.जा (महिला)	चमेली वड्डे	श्री कारिया राम वड्डे
3	कुंदला	अ.ज.जा (मुक्त)	मनीराम नुरेटी	स्व.श्री बस्सूराम नुरेटी
4	नेड़नार	अनारक्षित	मनीराम नेताम	श्री सोनूराम नेताम

(जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित)

संविदा नियुक्ति के शर्ते :-

1. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन राशि 5000.00 देय होगा(शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय प्रदाय किया जावेगा), इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति, गृह भाड़ा इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
2. वेतन का भुगतान योजनान्तर्गत उपलब्ध आकस्मिक निधि से किया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा छ.ग. संविदा नियुक्ति नियम 2012 में शासित होंगे, साथ गंभीर कदाचारण पाये जाने पर यथा समय नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
4. संविदा में नियुक्ति कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगामी वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति अवधि में पुनः वृद्धि किये जाने पर विचार किया जावेगा तथा निर्णय अंतिम एवं मान्य होगी।
5. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह संविदा में नियुक्ति कर्मचारी के लिए बंधनकारी होगा।
6. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

7. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
8. अनुबंध अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का अग्रिम वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।
9. संविदा नियुक्ति कर्मचारी को उपस्थिति के समय मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के दौरान यदि प्रस्तुत दस्तावेजों में कमी/ भिन्नता पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. कार्यभार ग्रहण के साथ जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. यह पद संविदा का है, भविष्य में नियमतिकरण संबंधित् कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
12. आदेश जारी दिनांक के 10 दिवस के भीतर कार्यालय जनपद पंचायत ओरछा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेय निरस्त माना जावेगा। अनुपस्थित होने की दशा में प्रतीक्षा सूची में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत ओरछा

पृ.क्रमांक/2015 /ज0पं0/MGNREGA/भर्ती/2019 ओरछा,दिनांक 04 /12/2019

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. सहायक परियोजना अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
5. सरपंच/ सचिव, ग्राम पंचायत ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु. ....ग्राम पंचायत .... को पालनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत ओरछा